न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या:–13 / 2024 दायरा दिनांक 10.07.2024

पीठासीन अधिकारी :–श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1. संतो पत्नी बालकिशन जाति कलाल निवासी मुंगावली तहसील–शाहाबाद जिला– बारां राजस्थान।
2. उमा पत्नी कन्हैया जाति कलाल निवासी मुंगावली तहसील–शाहाबाद जिला– बारां राजस्थान।

–अपीलान्टगण

–: बनाम :–

1. रामदयाल पुत्र हरगोविन्द जाति कलाल निवासी मुंगावली तहसील–शाहाबाद जिला– बारां राजस्थान।
2. हरविलास पुत्र हरगोविन्द जाति कलाल निवासी मुंगावली तहसील–शाहाबाद जिला– बारां राजस्थान।
3. नब्बो पत्नी चुन्नी पुत्री हरगोविन्द जाति कलाल निवासी केलवाडा तहसील–शाहाबाद जिला– बारां राजस्थान।
4. जानकी पत्नी द्वारका पुत्री हरगोविन्द जाति कलाल निवासी डेहरवारा तहसील–कोलारस जिला– शिवपुरी मध्यप्रदेश।
5. गुड्डी पत्नी लक्ष्मीनारायण पुत्री हरगोविन्द जाति कलाल निवासी हथवारी तहसील–शाहाबाद जिला–बारां राजस्थान।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित :–

श्री अरविन्द शर्मा :– वकील, अपीलान्टगण।
एक्स पार्टी :– रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 432 दिनांक 08.12.2010 ग्राम मुंगावली तहसील शाहबाद

निर्णय **दिनांक 29.04.2026**

अपीलान्टगण द्वारा यह अपील बनाराजगी नामान्तरकरण **संख्या 432 दिनांक 08.12.2010 ग्राम मुंगावली तहसील शाहबाद** को निरस्त करने बाबत् इस आशय की प्रस्तुत की है कि तहसीलदार, शाहबाद के द्वारा प्रमाणित किया गया नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जा कर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड एवं रेस्पोडेन्टगण की तलबी की गई।

संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि बांके ग्राम मुंगावली पटवार हल्का शुभघरा तहसील शाहबाद जिला बारां राजस्थान में खसरा नम्बर 76 की 4.01 बीघा, खसरा नम्बर 99 की 1.08 बीघा, खसरा नं. 110

की 0.05 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 5.14 बीघा कृषि भूमि 1/2 हिस्से से रेस्पाडेन्टकम 1 लगायत 5 के नाम सम्वत् 2072–75 की जमाबन्दी में दर्ज रिकार्ड है। रेस्पोडेन्टकम 1 लगायत 5 मृतक हरगोविन्द के पुत्र/पुत्री होकर वारिस है।

यह कि रेस्पोडेन्टकम 1 लगायत 5 के पिता मृतक हरगोविन्द ने अपने जीवनकाल में ही ग्राम मुंगावली स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 76 की 4.01 बीघा में से अपना हिस्सा 1/2 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.01.2008 जो पुस्तक 1 जिल्द संख्या 33 में पृष्ठ संख्या 141 कम संख्या 2008000003 पर पंजीबद्ध है से अपीलान्ट उमा को विक्रय कर कब्जा संभला दिया तथा दिनांक 02.01.2008 को ही खसरा नं. 99 रकबा 1.08 बीघा में से हरगोविन्द द्वारा अपना हिस्सा 1/2 अपीलान्ट संतो को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 33 में पृष्ठ संख्या 142 कम संख्या 2008000004 पर पंजीबद्ध है। से विक्रय कर दिया था। क्रय किये जाने की दिनांक से ही अपीलान्ट बतौर स्वामी काबिज काश्त है। हरगोविन्द द्वारा अपने जीवनकाल में ही उक्त वर्णित कृषि भूमि को अपीलान्ट को अन्तरित कर दिया था। उपपंजीयक कार्यालय में पंजीकृत विक्रय पत्र की एक प्रति पंजीयन नियम अनुसार भू–अभिलेख शाखा को प्राप्त होकर नामांतरकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जाती है लेकिन हरगोविन्द द्वारा पूर्व वर्णित विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट केतागण के पक्ष में राजस्व कर्मियों की लापरवाही त्रुटि रहने से नामांतरकरण दर्ज नहीं किया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिए था।

यह कि नामांतरकरण से खसरा नं0 76 व 99 की भूमि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 5 के नाम सर्वथा अवैध व विधि विरूद्ध अपीलाधीन नामांतरकरण के द्वारा दर्ज कर दी गयी जबकि मृतक हरगोविन्द द्वारा अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमि का विक्रय अपीलान्ट के हक में किया जा चुका था। हरगोविन्द का कोई हक अधिकार शेष नहीं रह गया था लिहाजा अपीलाधीन नामांतरकरण सर्वथा अवैध व विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

यह कि अपीलाधीन नामांतरकरण दिनांक 08.12.2010 के ज्ञान में नहीं था। दिनांक 13.06.2024 को अपीलन्टस को नकल की जरूरत होने पर नकल में ऑनलाइन रिकार्ड दिखवाने पर अपीलान्टस का नाम नहीं पाये जाने पर हल्का पटवारी से नकल लेने पर दिनांक 13.06.2024 को अपीलाधीन नामान्तरकरण का ज्ञान हुआ। ज्ञान के अभाव में अपील पेश करने में हुआ बिलम्ब सदभाविक होकर क्षमन किये जाने योग्य है। तिथि जानकारी से अपील अवधि मध्य पेश है।

विद्वान वकील अपीलान्ट की एक पक्षिय बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्टगण ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया की बांके ग्राम मुंगावली पटवार हल्का शुभघरा तहसील शाहबाद जिला बारां राजस्थान में खसरा नम्बर 76 की 4.01 बीघा, खसरा नम्बर 99 की 1.08 बीघा, खसरा नं. 110 की 0.05 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 5.14 बीघा कृषि भूमि 1/2 हिस्से से रेस्पाडेन्टकम 1 लगायत 5 के नाम सम्वत् 2072–75 की जमाबन्दी में दर्ज रिकार्ड है। रेस्पोडेन्टकम 1 लगायत 5 मृतक हरगोविन्द के पुत्र/पुत्री होकर वारिस है। रेस्पोडेन्टकम 1 लगायत 5 के पिता मृतक हरगोविन्द ने अपने जीवनकाल में ही ग्राम मुंगावली स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 76 की 4.01 बीघा में से अपना हिस्सा 1/2 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.01.2008 जो पुस्तक 1 जिल्द संख्या 33 में पृष्ठ संख्या 141 कम संख्या 2008000003 पर पंजीबद्ध है से अपीलान्ट उमा को विक्रय कर कब्जा संभला दिया तथा दिनांक 02.01.2008 को ही खसरा नं. 99 रकबा 1.08 बीघा में से हरगोविन्द द्वारा अपना हिस्सा 1/2 अपीलान्ट संतो को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 33 में पृष्ठ संख्या 142 कम संख्या 2008000004 पर पंजीबद्ध है। से विक्रय कर दिया था। क्रय किये जाने की दिनांक से ही अपीलान्ट बतौर स्वामी काबिज काश्त है। हरगोविन्द द्वारा अपने जीवनकाल में ही उक्त वर्णित कृषि भूमि को अपीलान्ट को अन्तरित कर दिया था। नामांतरकरण से खसरा नं0 76 व 99 की भूमि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 5 के नाम सर्वथा अवैध व विधि विरूद्ध अपीलाधीन नामांतरकरण के द्वारा दर्ज कर दी गयी

जबकि मृतक हरगोविन्द द्वारा अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमि का विक्रय अपीलान्ट के हक में किया जा चुका था। हरगोविन्द का कोई हक अधिकार शेष नहीं रह गया था अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण उपरोक्त वर्णित आधार पर अवैध विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एक्सपार्टी किया गया।

हमने विद्वान वकील अपीलान्ट के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने कथन किया की ग्राम मुंगावली पटवार हल्का शुभघरा तहसील शाहबाद में खसरा नम्बर 76 की 4.01 बीघा, खसरा नम्बर 99 की 1.08 बीघा, खसरा नं. 110 की 0.05 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 5.14 बीघा कृषि भूमि 1/2 हिस्से से रेस्पाडेन्टकम 1 लगायत 5 के नाम सम्वत् 2072–75 की जमाबन्दी में दर्ज रिकार्ड है। रेस्पोडेन्टकम 1 लगायत 5 मृतक हरगोविन्द के पुत्र/पुत्री होकर वारिस है। रेस्पोडेन्टकम 1 लगायत 5 के पिता मृतक हरगोविन्द ने अपने जीवनकाल में ही ग्राम मुंगावली स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 76 की 4.01 बीघा में से अपना हिस्सा 1/2 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.01.2008 जो पुस्तक 1 जिल्द संख्या 33 में पृष्ठ संख्या 141 कम संख्या 2008000003 पर पंजीबद्ध है से अपीलान्ट उमा को विक्रय कर कब्जा संभला दिया तथा दिनांक 02.01.2008 को ही खसरा नं. 99 रकबा 1.08 बीघा में से हरगोविन्द द्वारा अपना हिस्सा 1/2 अपीलान्ट संतो को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 33 में पृष्ठ संख्या 142 कम संख्या 2008000004 पर पंजीबद्ध है। से विक्रय कर दिया था। कय किये जाने की दिनांक से ही अपीलान्ट बतौर स्वामी काबिज काश्त हैं। हरगोविन्द द्वारा अपने जीवनकाल में ही उक्त वर्णित कृषि भूमि को अपीलान्ट को अन्तरित कर दिया था। नामांतरकरण से खसरा नं0 76 व 99 की भूमि रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 5 के नाम सर्वथा अवैध व विधि विरूद्ध अपीलाधीन नामांतरकरण के द्वारा दर्ज कर दी गयी जबकि मृतक हरगोविन्द द्वारा अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमि का विक्रय अपीलान्ट के हक में किया जा चुका था। हरगोविन्द का कोई हक अधिकार शेष नहीं रह गया था अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण उपरोक्त वर्णित आधार पर अवैध विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम **मुंगावली** का नामान्तरकरण संख्या **432 दिनांक 08.12.2010** निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता हैं कि अपीलान्टगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार शाहबाद को भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

अतिरिक्त कलक्टर
शाहाबाद (बारां)